रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02072024-255092
CG-DL-E-02072024-255092

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 338] नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 2, 2024/आषाढ 11, 1946
No. 338] NEW DELHI, TUESDAY, JULY 2, 2024/ASHADHA 11, 1946

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
(दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 जुलाई, 2024

सा.का.नि. 361(अ).—जबकि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) की धारा 100 की उप-धारा (1) के तहत यथा अपेक्षित, दिव्यांगजन अधिकार नियमावली, 2017 के नियम 15 के उप नियम (1) में संशोधन करने के लिए कतिपय नियमों का एक मसौदा दिनांक 19 मार्च, 2024 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि 219 (अ.) के माध्यम से भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था जिसमें, उससे प्रभावित होने की संभावना वाले सभी व्यक्तियों से, आधिकारिक राजपत्र की उक्त अधिसूचना वाली प्रतियां जनता को जिस तारीख से उपलब्ध कराई गई थी, उस तारीख से तीस दिनों की समाप्ति से पहले, आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित किए गए थे।

और जबकि, उक्त अधिसूचना की प्रतियां 19 मार्च, 2024 को जनता के लिए उपलब्ध करा दी गई थीं;

और जबकि, उक्त अधिसूचना के संबंध में जनता से प्राप्त आपत्तियों और सुझावों पर केंद्र सरकार द्वारा विचार किया गया था;

अत: अब, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) की धारा 100 की उप-धारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार दिव्यांगजन अधिकार नियमावली, 2017 में आगे और संशोधन करने के लिए एतदद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

(1) इन नियमों को दिव्यांगजन अधिकार (संशोधन) नियम, 2024 कहा जाएगा।

(2) ये आधिकारिक राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. दिव्यांगजन अधिकार नियमावली, 2017 के, नियम 15 के, उप-नियम (1) में, खंड (ण) के पश्चात् निम्नलिखित खंड को जोड़ा जाएगा, अर्थात्:-

"(त) वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या फा.सं.7/32/2022-बीओए-I दिनांक 2 फरवरी, 2024 में यथा निर्दिष्ट बैंकिंग सेक्टर के लिए सुगम्यता मानक और दिशानिर्देश को अधिसूचित किया गया है।"

[फा. सं. आई-12012/7/2022-एआईसी]

राजीव शर्मा, संयुक्त सचिव

नोट: दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2017 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.591 (असा.), दिनांक 15 जून, 2017 के माध्यम से प्रकाशित किया गया था और पिछली बार सा.का.नि. 358 (असा.), दिनांक 25 जून, 2024 द्वारा संशोधित किया गया था।

MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT

[Department of Empowerment of Persons with Disabilities (Divyangjan)]

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd July, 2024

G.S.R. 361(E).—Whereas a draft of certain rules to amend sub-rule (1) of rule 15 of the Rights of Persons with Disabilities Rules, 2017 were published, as required by sub-section (1) of section 100 of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (49 of 2016), vide G.S.R. 219 (E), dated the 19th March 2024 in the Official Gazette of India, Extraordinary, Part-II, section 3, sub-section (i), inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, before the expiry of thirty days from the date on which the copies of the Official Gazette containing the said notification was made available to the public;

And whereas, copies of the Official Gazette in which the said notification were made available to the public on the 19th March, 2024;

And whereas, the objections and suggestions received from the public were considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 100 of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (49 of 2016), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Rights of Persons with Disabilities Rules, 2017, namely:-

(1) These rules may be called the Rights of Persons with Disabilities (Amendment) Rules, 2024.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Rights of Persons with Disabilities Rules, 2017, in rule 15, in sub-rule (1), after clause (o), the following clause shall be inserted, namely:-

"(p) Accessibility standards and Guidelines for Banking Sector, as specified in the notification in the Department of Financial Services, Ministry of Finance, Government of India *vide* Notification no. F.No. 7/32/2022-BOA-I dated the 2nd February, 2024".

[F. No. I-12012/7/2022-AIC]

RAJEEV SHARMA, Jt. Secy.

Note: The Rights of Persons with Disabilities Rules, 2017 were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i) *vide* notification number G.S.R. 591 (E), dated the 15th June, 2017 and was last amended *vide* G.S.R. 358 (E) , dated the 25th June, 2024.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.